



**M.P. POWER TRANSMISSION CO. LTD. JABALPUR.**  
**OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (T&C)**  
**( Regd. Office : Block No. 2, Shakti Bhawan, Jabalpur**

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-79/1292  
आदेश

जबलपुर, दिनांक 23-07-2019

म०प्र०पा०ट्रा०क०लि० के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दि. 30-12-2015 के द्वारा तृतीय विकल्प समयमान वेतनमान (Third Time Scale Pay Higher Pay Scale on completion of 30 years service) का लाभ म०प्र०पा०ट्रा०क०लि० के कार्मिकों हेतु, उक्त परिपत्र के साथ संलग्न Terms and conditions के प्रावधानों के अनुसार एवं तत्संबंध में पूर्ववर्ती म०प्र०रा०वि०म० के आदेशों/परिपत्रों/स्पष्टीकरण/नोटिफिकेशन आदि में किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ परीक्षण सहायक (परीक्षण) को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार 30 वर्षीय तृतीय विकल्प, नियम के अंतर्गत वरिष्ठ उपकेन्द्र पर्यवेक्षक (परीक्षण) के पद का समयमान वेतनमान, वेतन संवर्ग ई-8, वेतन बैंड-2 में वेतनमान रु. 9300-34800/-सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 4400/- तथा पुनरीक्षित सातवें वेतनमान में रु. 40300-127400/- प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर, उनके समक्ष दर्शायी गयी तिथि से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

क्रमांक	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम सर्व श्री	वर्तमान में पदस्थापना के कार्यालय का नाम	तृतीय समयमान वेतन मान स्वीकृति की तिथि
	2	3	4	5
1	91489706	Shri Abdhesh Kumar Singh Gaur	E.E.(Testing) Dn.II, MPPTCL, Gwalior	02/07/2019

समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)  
म०प्र०पा०ट्रा०क०लि०, जबलपुर

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-79/1293  
प्रतिलिपि :

जबलपुर, दिनांक 23-07-2019

1. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि., जबलपुर।
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि., जबलपुर।
3. अधीक्षण यंत्री (परी०एवं संचार) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि., ग्वालियर।
4. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म०प्र०पा०मै०क०लि० जबलपुर।

कमश:-दो



- 5.. कार्यपालन यंत्री (परीक्षण) संभाग-दो, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. ग्वालियर ।
6. कार्यपालन अभियंता (बेबमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता (ट्रांस.पूर्वक्षेत्र) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
7. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., भोपाल ।
8. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
9. श्री अवधेश कुमार सिंह गौर, वरिष्ठ परीक्षण सहा. (परी०) द्वारा - अधीक्षण यंत्री (परी० एवं संचार) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि ग्वालियर ।

- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अ. पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में म०प्र०पा०ट्रॉ०कं०लि० के आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30-12-2015 के प्रावधानों के अनुसार समयमान वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।

ब. उक्त कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रप्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। इसके साथ ही उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लें कि संबंधित कर्मचारी ने 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि में गणना योग्य वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। तथा तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उन्हें, आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार, मात्र दो ही अवसरों पर (पदोन्नति अथवा उच्चवेतनमान) वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त किसी कर्मचारी को दो से अधिक अवसरों पर वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हो चुका है तब आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।

स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

अधीक्षण अभियंता  
कार्या० मुख्य अभियंता (परी० एवं संचार)  
म०प्र०पा०ट्रॉ०कं०लि०, जबलपुर